छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड 1, रायपुर 492 006
दूरभाष : (0771) 4224600, 4224611 फैक्स : (0771) 4066425 ई-मेल : visitcg@gmail.com

क्र. 1164 /यो./460/2020 रायपुर, दिनांक 14-07-2020

प्रति,

कलेक्टर,
सूरजपुर,
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for the purpose of Kudargarh Ropeway Area- 0.797 hectare.
Registration No. FP/CG/OTHER/25041/2017)

सदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115-703/1206 दिनांक 24.06.2020
2. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./704 दिनांक 01.07.2020

———0———

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र कुदरगढ़ अंतर्गत कुदरगढ़ रोप–वे निर्माण में प्रभावित 0.797 हेक्टेयर वनभूमि के गैर–वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्ताव हेतु वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र FRA Certificate (Form-II) (for project other than linear project) नॉन लिनियर परियोजना मानकर, अपने पत्र क्रमांक 446 दिनांक 21.08.2017 के माध्यम से प्रदाय किया गया था।

चूंकि प्रस्तावित परियोजना Linear Project है। अतः आपसे अनुरोध है कि FRA Certificate (Form-I) (for project linear project) में प्रदाय करते हुए, इसे MoEF&CC के वेब पोर्टल में भी अपलोड करवाने का कष्ट करें। आपके सुलभ संदर्भ हेतु इसी तरह के अन्य प्रकरण में जारी FRA Certificate नमूनार्थ संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

इफ्फत आरा (भा.प्र.से.)
प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

पृ. क्र. /यो./460/20 रायपुर, दिनांक /2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, सरगुजा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

D:\vijay\letter 2020.docx.doc

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष 0771 – 2552233

ई – मेल: ccflm_cg@yahoo.com

/भू–प्रबंध/विविध/115–30/ 2962

रायपुर, दिनांक 23 /11/2015

- समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
- मुख्य वन संरक्षक / क्षेत्र निदेशक
  टायगर रिजर्व उदन्ती–सीतानदी, रायपुर /
  अचानकमार, बिलासपुर / इन्द्रावती, जगदलपुर
  छत्तीसगढ़

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रकरणों में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत मूल प्रमाण पत्र प्रेषित करने बावद।

x x x x x

यह देखने में आया है कि आवेदक संस्थान द्वारा व्यपवर्तन प्रकरणों में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत संबंधित कलेक्टर द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया जा रहा है कलेक्टर के मूल प्रमाण पत्र के अभाव में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव अमान्य कर मूल प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है।

इस अनुक्रम मे कार्यालय द्वारा पूर्व में वन अधिकार अधिनियम 2006 तहत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधी प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/ खनिज/ 331–29/ 2092 दिनांक 06.12.2013 अनुसार कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया जा चुका है।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। परिशिष्ठ –I मे लीनियर प्रोजेक्ट जैसे सड़क, विद्युत लाईन, नहर, आदि हेतु प्रारूप है। इन प्रकरणों में नई ग्राम सभा नहीं करानी होती है अपितु पूर्व में हुई ग्राम सभाओं की अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से सत्यापित प्रति साथ में लगानी होती है। परिशिष्ठ –II में अन्य समस्त प्रकरणों हेतु कलेक्टर के प्रमाण पत्र का प्रारूप है तथा उसके साथ ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव प्रारूप–ब में आवश्यक है।

तदानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(मुदित कुमार सिंह) 23/11
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–30/ 2963

रायपुर, दिनांक 23/11/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
2. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), छत्तीसगढ़ को पालनार्थ।
3. उप निदेशक, उदन्ती सीतानदी टाईगर रिजर्व, गरियाबंद, छत्तीसगढ़।
4. संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर।
5. संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर, कोरिया।
6. वन संरक्षक, हाथी रिजर्व, अंबिकापुर, सरगुजा।
7. उप संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छ.स.बल / नक्स.ऑप / एस.टी.एफ / पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।

क्रमशः–2

Scanned with CamScanner

ıς

FROM-I

(For linear projects)

Government of Chhattisgarh

Officer of the District Collector Korba (C.G.)

--****--

क्र./3698 / भू.अ./वन अधि./2018 कोरबा दिनांक 13/12/2018

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **34.095 hectare of revenue forest land & 21.329 hectare of forest land Total Area 55.424 hectare land** proposed to be diverted in favour of **Goa Tamnar Transmission Project Limited** (Name Of User agency) for **Construction of 765 KV Double Circuit Transmission Line from Dhramjaygarh to Raigarh (Tamnar) (Purpose for Diversion of forest land)** in **Korba** district falls within jurisdiction of ***Dongdarha in korba tehsil and Junwani, Gidhouri, Dongaama, Kervadwari, Navapara, Botali, Jogipali, Nondarha*** villages in **Kartala** tehsils.

It is further certified that :

(d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for entire **34.095 hectare of revenue forest land & 21.329 hectare of forest land Total 55.424 hectare land** area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committees and the Sub Divisional level Committee are enclosed .

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls : As above.

(Md. Qaiser Abdul Haque)
Collector
Korba (Chhattisgarh)
कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड 1, रायपुर– 492 006
दूरभाष : (0771) 4224600, 4224611 फैक्स : (0771) 4066425 ई–मेल : visitcg@gmail.com

क्र. 1162 /यो./460/2020 रायपुर, दिनांक 14-07-2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सूरजपुर वनमण्डल,
सूरजपुर

विषय :– Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 for the purpose of Kudargarh Ropeway Area- 0.797 hectare.
Registration No. FP/CG/OTHER/25041/2017)

संदर्भ :– वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./704 दिनांक 01.07.2020

———0———

विषयातर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से उठाई गई आपत्तियों का निराकरण/सुधार निम्नानुसार कर पुनः प्रस्तुत है –

बिन्दु क्रमांक	आपत्ति	निराकरण
2	Form_A Part-II के कॉलम न. 13 (Detail of compensatory afforestation scheme) में नियमानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में विदोहन हेतु खडे वृक्षों के एवज में 10 गुना वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान से राशि जमा करने हेतु वचन पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव मे संलग्न करें।	जानकारी पृथक से प्रस्तुत की जावेगी।
3	FRA Certificate कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपलोड नही किया गया है। प्रस्ताव में संलग्न FCA Certificate (Form-II) (for project other than linear project) लीनियर परियोजना मानकर तैयर किया गया है। जबकि FRA Certificate (Form-I) (for Linear Project) में प्रस्तुत करे। इसी तरह के अन्य प्रकरण मे जारी FRA Certificate नमुनार्थ सलग्न है।	FRA Certificate (Form-I) (for Linear Project) मे प्रदाय करने हेतु कलेक्टर, सूरजपुर को लेख किया गया है, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठाकित की गई है।
4	प्रकरण मे 3 अन्य विकल्पों को दर्शाता हुआ मानचित्र सलग्न करे।	प्रकरण मे 3 अन्य विकल्पो को दर्शाता हुआ मानचित्र मूल प्रस्ताव के साथ 6 प्रतियों में, पूर्व में चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक 44 अन्य विवरण में संलग्न है। कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

इफ्फत आरा (भा.प्र.से.)
प्रबंध संचालक
P.M. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

पृ. क्र. /यो./460/2020 रायपुर, दिनांक /2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, सरगुजा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला सूरजपुर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

Scanned with CamScanner